जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर

क्षेत्र भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन निविदा प्रपत्र

अवधि एक वर्ष

-: अनुक्रमणिका :-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	मुख पृष्ठ	01
2.	निविदा विज्ञापन	02
3.	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश	03 से 04
4.	क्षेत्र भ्रमण हेतु जिलों का विवरण	05
5.	अनुबंध पत्र प्रारूप	6 से 10
6.	निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रपत्र	11
	योग पृष्ठ संख्या	11

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्रः- करौंदा नाला इमलिया,

जबलपुर, पो.बाक्स 2, अधारताल, जबलपुर 482004 (म०प्र०)

दूरभाष पी० बी० एक्स. 9406900468

निविदा प्रपत्र दर रु. 500 मात्र

GST: 23AAAAj0485D1
PAN: AAAAJ0485D

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज़ अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
ISO. 9001 : 2015 & 22000: 2005

+91 9406 900 500
+91 8305 225 339
www.sanchijabalpur.com
jdssanchi@gmail.com
करौंदा-इमलिया, कटनी रोड, आधारताल, जबलपुर 482004 (म.प्र.)

क्रमांक/ /जेएसडीएस/क्षेसं/आदि. परियोजना वाहन निविदा फा.क्र. 120/2022 जबलपुर, **दिनांक–**

क्षेत्र भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर अन्तर्गत जिला सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट क्षेत्र के दुग्ध समिति ग्रामों में भ्रमण हेतु 03 बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर आवश्यक विवरण, नियम एवं अन्य शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2022 से रू. 500/– ऑनलाईन जमा कर www.mptenders.gov.in से क्रय कर दिनांक 07.03.2022 समय दोपहर 1:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रतिभूति राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार) उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

GST : 23AAAAj0485D1, PAN : AAAAJ0485D

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

ISO. 9001 : 2015 & 22000 : 2005

+ 91 9406 900 500
+ 91 8305 225 339
www.sanchijabalpur.com
jdssanchi@gmil.com
करौंदा-इमलिया, कटनी रोड, आधारताल, जबलपुर 482004 (म.प्र.)

क्रमांक/ नं.640-/जेएसडीएस/क्षेसं/ आदि. परियोजना वाहन निविदा

फा.क्र.120/2022, जबलपुर, दिनांक : 18.02.2022

क्षेत्र भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर अंतर्गत जिला सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट क्षेत्र के दुग्ध समिति ग्रामों में भ्रमण हेतु 03 बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर आवश्यक विवरण, नियम एवं अन्य शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2022 से रू. 500/- ऑनलाईन जमा कर www.mptenders.gov.in से क्रय कर दिनांक 07.03.2022 समय दोपहर 1.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रतिभूति राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार), उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के अंतर्गत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

दैनिक भास्कर

दिनांक - 19/02/2022

पत्रिका समाचार पत्र में
प्रकाशन दिनांक 19/02/2022

GST: 23AAAAj0485D1
PAN: AAAAJ0485D

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
ISO 9001 : 2015 & 22000:2005
Phone : +91 9406 900 500 +91 8305 225 339
www.sanchijabalpur.com, jdssanchi@gmail.com
करौंदा-इमलिया, कटनी रोड, आधारताल, जबलपुर-482004 (म.प्र.)

क्रमांक -641/जेएसडीएस/क्षेसं/आदि, परियोजना वाहन निविदा फा.क्र. 120/2022
जबलपुर, दिनांक 18.02.2022

क्षेत्र भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर अन्तर्गत जिला सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट क्षेत्र के दुग्ध समिति ग्रामों में भ्रमण हेतु 03 बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर आवश्यक विवरण, नियम एवं अन्य शर्ते प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2022 से रू. 500/- ऑनलाईन जमा कर www.mptenders.gov.in से क्रय कर दिनांक 07.03.2022 समय दोपहर 1:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रतिभूति राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार) उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश-

01- निविदा अमानत की राशि रुपये 10,000.00 (रू. दस हजार मात्र) website www.mptenders.gov.in पर आनलाईन जमा करना होगा।

02- उक्त निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकता पड़ने पर समयावधि में वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तों पर की जा सकेगी।

03- निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित माने जावेंगे, निविदा दरें प्रति किलोमीटर में प्रस्तुत की जानी है। निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्यतः चस्पा किया जावे।

04- किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो निविदा के साथ इस आशय का मुख्त्यारनामा/नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

05- निविदा अस्वीकृत होने पर अमानत राशि निविदाकार के खाते में स्वतः वापिस हो जावेगी।

06- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित अवधि में सुरक्षा निधि रूपये 10,000.00 (रू. दस हजार मात्र) जमा कर रूपये 1,000.00 (रु. एक हजार मात्र) के नान ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर एवं वॉटर मार्क पेपर पर टाइप करवाकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध नहीं किया जाता है तो ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

07- सफल निविदाकार को एक माह के देयक के बराबर सुरक्षा निधि राशि दुग्ध संघ में जमा करना होगी। इसमें से रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करवाकर शेष राशि परिवहन देयकों से अनुबंध अवधि के प्रथम तीन माह के अन्दर काट कर जमा कर ली जावेगी। अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

08- पृथक-पृथक जिलों हेतु पृथक-पृथक निविदायें प्रस्तुत की जानी होगी। पृथक-पृथक जिलों हेतु एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ द्वारा उसे जिस जिले के लिये स्वीकृत किया जावेगा वह निविदाकार को मान्य होगा।

09- किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

10- निविदा स्पष्ट पूर्ण भरी होनी चाहिये। अस्पष्ट निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

11- निविदा प्रपत्र के साथ वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं बीमा संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति बेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है एवं निविदा स्वीकृत होने पर सत्यापन हेतु उनकी मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी परन्तु यदि निविदाकार द्वारा वाहन क्रय किया जा चुका है एवं किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा के साथ वाहन खरीदी से सम्बन्धित विक्रय प्रमाण पत्र (सेल डीड/विक्रय प्रमाण पत्र), वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी छायाप्रति एवं मूल पंजीयन प्रस्ताव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

12- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर लाना होगा।

13- जीप वाहन टैक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।

14- आयकर विभाग से जारी स्थाई लेखा संख्या (PAN) की स्व–प्रमाणित (Self Attested) प्रति संघ को प्रस्तुत करना होगा तभी परिवहन देयकों का भुगतान किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र के साथ पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड– कोई एक) की छायाप्रति जो स्व–प्रमाणित हो अपलोड करना आवश्यक होगा।

15- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अनुबंध हेतु प्रतिभूति राशि के साथ जबलपुर दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रू. 100.00 (एक सौ रूपये) शुल्क जमा करना होगा। ऐसा सदस्य संस्था के प्रबंधन, मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगा। संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बने रहने तक वह नाममात्र का सदस्य बना रहेगा।

16- निविदायें आनलाईन निर्धारित तिथि, समय एवं दुग्ध संघ कार्यालय में समिति के समक्ष खोली जावेंगी।

17- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने की स्थिति में अथवा भ्रमण कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

18- **निविदा कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार है:–**

क्र.	जिला/क्षेत्र का नाम	निविदा की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	सिवनी	7.03.2022	7.03.2022
2	छिंदवाड़ा	7.03.2022	7.03.2022
3	बालाघाट	7.03.2022	7.03.2022

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर

क्षेत्र भ्रमण हेतु जिलों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वर्तमान में स्वीकृत दर (रू. प्रति कि.मी.)	सत्यापित दूरी (किमी में)	अपेक्षित वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष
1	सिवनी	Swift dzire	10	2500	बोलेरो, जीप / समकक्ष	2019 / 2020 / 2021
2	छिंदवाड़ा	बोलेरो	10	2500	बोलेरो, जीप / समकक्ष	2019 / 2020 / 2021
3	बालाघाट	मारूति डिजायर	11	2500	बोलेरो, जीप / समकक्ष	2019 / 2020 / 2021

अनुबंध का प्रारूप

अनुबंधकर्ता का फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ....को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष (निविदाकार) श्री/श्रीमति............ .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमति... हैं। जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना अंतर्गत गठित दुग्ध सहकारी समितियों के भ्रमण करने वास्ते द्वितीय पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक...से प्रथम पक्षकार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा निर्धारित समय पर वाहन भ्रमण हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन दर रूपये................. ....अक्षरी रूपये..प्रति कि.मी. पर निम्नलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है:–

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी :–

01. यह कि अ) ठेका अवधि दिनांक.................................से दिनांक.............................तक प्रभावशील रहेगा।
    ब) अनुबंध एक वर्ष पश्चात् संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक–एक कर अधिकतम दो वर्ष तक (कुल 3 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

02. यह कि इन शर्तों को जीप/समकक्ष भ्रमण ठेके की शर्तें कहा जाएगा। शर्तों में जहां–जहां दुग्ध संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर माना जावेगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
03. यह कि अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी श्रेणी का वाहन प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा अन्यथा वाहन के प्रकार अनुसार देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा भ्रमण कार्य हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं प्रथम पक्ष को वाहन की व्यवस्था करना पड़ता है तो दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष के देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जा सकेगी।
04. यह कि एक्सीडेन्ट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन अगर पुलिस द्वारा जप्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
05. यह कि वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में भ्रमण कार्य नहीं किया जाता है तो इससे संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन

या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को भ्रमण के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्ति एवं प्रतिभूति राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

06. यह कि संघ अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बैठाई जावेगी। यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दंड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। यह दंड अधिकतम रू. 1,000/– प्रतिदिन होगा। यदि ऐसा दंड करने की एक बार से अधिक की स्थिति आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर, जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षो तक द्वितीय पक्ष को संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

07. (अ) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या-कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगा।

(ब) द्वितीय पक्ष, उसके प्रतिनिधि अथवा उसके कर्मचारी द्वारा संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 02 वर्षो तक द्वितीय पक्ष को संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

08. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तातांरण न करते हुये वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

09. यह कि वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी।

10. यह कि द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबंदी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड दिया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। यह दण्ड रू. 1,000/– प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

11. यह कि डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने,

धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा।यदि किसी परिवहन ठेकेदार/उसके कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो रू. 500/– प्रतिदिवस का आर्थिक दण्ड उस पर आरोपित किया जावेगा।

12. यह कि वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घण्टों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

13. यह कि वाहन पर प्रथम पक्ष के अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस लगवाया जावेगा जिसकी राशि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन की जावेगी। ऐसा न करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाया जावेगा एवं व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से अनिवार्यतः काटी जावेगी।

14. यह कि परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमति/कु.. संबंध.........................उम्र ....को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमति/कु...को संघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति, वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दी जावेगी।

16. यह कि संघ के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।

17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र–मय फोटो के द्वितीय पक्ष द्वारा ही बनवाऐं जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक ही रहेगा, वाहन चालक का ड्रायविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य है जिसकी एक प्रति अनुबंध के साथ कार्यालय को जमा की जावेगी। कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र, फोटो एवं ड्रायविंग लाईसेन्स कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक का नियुक्ति आदेश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

18. वाहन माह में अधिकतम 2500 कि.मी. चलाया जावेगा, उससे कम चलने पर प्रस्तुत दर अनुसार कि.मी. का भुगतान देय होगा। अतिरिक्त वाहन संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर की स्वीकृति अनिवार्य होगी जो कि प्रयोगकर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जावेगी।

19. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं वाहन के प्रयोगकर्ता अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगे।

20. वाहन में लगने वाले डीजल/आयल हेतु संघ हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. यह कि स्थानीय, मध्यप्रदेश, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह द्वितीय पक्ष के देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर द्वितीय पक्ष देगा।

22. यह कि देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह के देयक द्वितीय पक्ष को आगामी माह की 03 तारीख तक करना होगा, जिसका भुगतान 15–20 तारीख तक किया जावेगा।

23. यह कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में, पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर सकेगें व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

24. स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेंगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 12 कि.मी. प्रति ली. औसत आधार पर की जावेगी।

25. यह कि अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को ही रखना होगा।

26. यह कि विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कमतर श्रेणी का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20% का कटौत्रा किया जावेगा। यह अनुमति वर्ष में 2–3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित श्रेणी का वाहन नहीं लगाया जाता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

27. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) की स्व–सत्यापित छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही देयक की स्वीकृति की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

28. यह कि द्वितीय पक्ष, अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा, इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5,000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

29. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

30. यह कि द्वितीय पक्षकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास 10 से अधिक कमर्शियल व्हीकल नहीं है, यदि ऐसा होता है तो द्वितीय पक्षकार उसकी जानकारी अलग से देगा एवं ऐसी स्थिति में देयक से टीडीएस कटौती की जा सकेगी।

31. यदि दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार के वाद अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका निराकरण आर्बिट्रेशन के माध्यम से किया जावेगा एवं निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

32. न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा।

मैं श्री/श्रीमति..द्वितीय पक्षकार ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भली–भांति एवं होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा/अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य है। निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता.. नाम.. पिता/पति का नाम.. पता.. .... दूरभाष क्र. .... मोबाईल नम्बर .... स्थाई लेखा संख्या पेन ....

प्रथम पक्ष के गवाह का नाम एवं पताः–

(1) हस्ताक्षर ....

नाम..

पता ....

मोबाईल नं. ....

आई.डी. प्रूफ..

(2) हस्ताक्षर ....

नाम..

पता ....

मोबाईल नं. ....

आई.डी. प्रूफ..

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षरः–

(1) हस्ताक्षर ....

नाम..

पता..

मोबाईल नं. ....

आई.डी. प्रूफ..

अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं पताः–

(1) हस्ताक्षर ....

नाम..

पता ....

मोबाईल नं. ....

आई.डी. प्रूफ..

(2) हस्ताक्षर ....

नाम..

पता ....

मोबाईल नं. ....

आई.डी. प्रूफ..

नोटः– उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक, दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र
सील सहित

-------***-------

निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक अपना पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाएं ।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
जबलपुर (म0प्र0)

विषय– **भ्रमण कार्य हेतु निविदा।**

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक .... के संस्करण में प्रकाशित की गई भ्रमण कार्य हेतु बोलेरो/समकक्ष वाहन की निविदा सूचना के संदर्भ में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त अनुबंध की समस्त शर्त एवं अन्य जानकारी मैंने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली है। तद्नुसार जिला– .... के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा सम्बन्धी जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) **निविदाकार का विवरणः–** ....

निविदाकार का नाम– ....

- पिता/पति का नाम– ....
- पत्र व्यवहार का पता– ....
  ....
- स्थाई पता– ....
  ....
- दूरभाष क्रमांक– ....
- स्थाई लेखा संख्या (पेन नं.)– ....

(2) **वाहन का विवरणः–**

- वाहन का प्रकार– ....
- माडल वर्ष– ....
- वाहन का पंजीयन क्रमांक– ....

(3) **जमा की गई अमानत (ई.एम.डी.) राशि रूपये 10,000/– का विवरणः**–रसीद/.......... ....दिनांक .... बैंक का नाम ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य व सही है। यदि दी गई जानकारी किसी भी समय त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस संबंध में जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक ....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम– ....